जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गोड्डा।

सी0सी0ए0 केश नं0–18/2024–25

सरकार

बनाम्

नितेश कुमार यादव

–: आदेश :–

दिनांक 30/10/24

अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्तमान वाद की प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के पत्रांक–421/डी0सी0बी0 दिनांक–19.10.2024 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने गोड्डा (मु0) थाना के अपराधकर्मी नितेश कुमार यादव, उम्र–28 वर्ष, पिता–कामेश्वर प्रसाद यादव, सा0–पथवारा, थाना–गोड्डा(मु0), जिला–गोड्डा को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (1981) की धारा–2 (डी) के अन्तर्गत परिभाषित असामाजिक तत्व है, के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (1981) की धारा–3(i)(ए)(बी)(i)(ii) के अन्तर्गत थाना हाजिरी करने हेतु प्रस्ताव दिया गया है।

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा का प्रतिवेदन है कि अपराधकर्मी नितेश कुमार यादव, उम्र–28 वर्ष, पिता–कामेश्वर प्रसाद यादव, सा0–पथवारा, थाना–गोड्डा(मु0), जिला–गोड्डा एक असामाजिक तत्व है, जिसके द्वारा लम्बे अरसे से गोड्डा(मु0) थाना क्षेत्र में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर विभिन्न प्रकार के घटनाओं को अंजाम दिया है, जिसे गोड्डा (मु0) थाना काण्ड सं0–253/2020 दिनांक–14.10.2020 धारा–392 भा0द0वि0 में गिरफ्तार कर माननीय न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जो वर्तमान में माननीय न्यायालय, गोड्डा से जमानत पर मुक्त है।

आगे प्रतिवेदन है कि यह एक परिभाषित असामाजिक तत्व है, जिसका कार्य समाज में अराजकता फैलाना, ग्रामीणों को भयादोहन करने हेतु लूट/डकैती/चोरी/गृहभेदन/छीनतई जैसे कई कांड अंकित किये गये है, जिसका उल्लेख अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोड्डा के प्रस्ताव में किया गया है। इसके विरूद्ध गोड्डा(मु0) थानान्तर्गत काण्ड के अलावे असामाजिक गतिविधि के लिए सन्हा भी दर्ज किया गया है। इसके बाहर रहने से लोक व्यवस्था पूरी तरह से भंग होने की संभावना बनी हुई है। इसलिए अपराधकर्मी नितेश कुमार यादव, उम्र–28 वर्ष, पिता–कामेश्वर प्रसाद यादव, सा0–पथवारा, थाना–गोड्डा(मु0), जिला–गोड्डा को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (1981) की धारा–3(i)(ए)(बी)(i)(ii) के अन्तर्गत

कार्रवाई करते हुए थाना हाजिरी कर निगरानी रखना अति आवश्यक है। इसके बाहर रहने से गोड्डा(मु0) थाना क्षेत्र के आस–पास के गॉव एवं थाना क्षेत्र के ग्रामीणों में काफी भय का माहौल बना हुआ है, जिससे लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतएव आम लोगों पर भयांक्रांत खौप, दहशत देखने को मिल रहा है। इसका पुष्टि गोड्डा(मु0) थाना में दर्ज सन्हा से प्रतीत होता है, जो इनके असामाजिक तत्व होने को प्रमाणित करता है। इनके विरूद्ध दर्ज किये गये आपराधिक इतिहास निम्नांकित है, जो वर्तमान में माननीय न्यायालय, गोड्डा में विचाराधीन है तथा सभी कांण्डों में आरोप पत्र समर्पित किये जा चुके हैं, जिसकी विस्तृत विवरणी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा समर्पित प्रस्ताव में अंकित है।

आपराधिक इतिहास :–

1. गोड्डा(मु0) थाना काण्ड सं0–253 / 2020 दिनांक–14.10.2020 धारा 392 भा0द0वि0
2. पोड़ैयाहाट थाना काण्ड सं0–32 / 19 दिनांक–13.03.2019 धारा 392 भा0द0वि0

वर्तमान में उक्त के विरूद्ध दर्ज सन्हा :–

गोड्डा(मु0) थाना दैनिकी सन्हा संख्या–35 / 23 दिनांक–08.06.2023 एवं गोड्डा(मु0) थाना दैनिकी सन्हा संख्या–14 / 24 दिनांक–16.10.2024 तथा गोड्डा(मु0) थाना दैनिकी सन्हा संख्या–25 / 24 दिनांक–18.10.2024।

आगे प्रतिवेदन में उल्लेख है कि पु0अ0नि0 सह थाना प्रभारी गजेश कुमार सशस्त्र बल के साथ पुलिस जीप से संध्या गश्ती, थाना क्षेत्र भ्रमण, दागी / फिरारी, अभियुक्तों, अपराधियों पर निगरानी, आम सूचना संकलन बाद थाना वापस आये, जिसके दौरान ग्राम–पथवारा में इनको एक व्यक्ति डरते–डरते आकर बताया कि अपराधी नितेश कुमार यादव एवं राजन कुमार साह हाल ही में जेल से छुटकर आये हैं, जिसके आतंक से लोग भयाक्रांत है। इनदोनों के डर से इनके विरूद्ध पुलिस को कोई सूचना देना नहीं चाहता है, आम जन–जीवन त्रस्त हो गया है तथा लोक व्यवस्था भंग होने की स्थिति है। दर्ज काण्डों एवं सन्हा से यह स्पष्ट है कि नितेश कुमार यादव, उम्र–28 वर्ष, पिता–कामेश्वर प्रसाद यादव, सा0–पथवारा, थाना–गोड्डा(मु0), जिला–गोड्डा झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (1981) की धारा–2 (डी) में परिभाषित असमाजिक तत्व है। जिनका मुख्य कार्य समाज में अराजकता फैलाना, ग्रामीणों का भयादोहन करना, रंगदारी वसूलना, अपराधिक घटनाओं को अंजाम देना इत्यादि है। यह अपराधी जेल से जमानत पर छुटकर बाहर आया है। इनके जेल से छुटने पर गोड्डा(मु0) थाना एवं सीमावर्ती थाना क्षेत्रों के लोगों में भय व्याप्त है तथा इनके घर पर

अक्सर संदिग्ध लोगों का आना जाना लगा रहता है, जिससे आमजनों में भय का माहौल बन गया है। इनके भय को आमजनों में कम करने के लिए इनकी निगरानी रखना आवश्यक है। जिसके लिए इन्हे थाना पर हाजिरी कराकर निगरानी रखने पर आमजनों मे दहशत का माहौल नियंत्रण रहेगा। उक्त अपराधकर्मी के विरूद्ध अपराध नियत्रंण अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई करने से आम जनता के मनोबल में वृद्धि होगी तथा दहशत का माहौल नियंत्रित होगा जो गोड्डा(मु0) थाना एवं सीमावर्ती थाना क्षेत्रों में लोक शांति व्यवस्था बनाये रखने में सहायक सिद्ध होगा। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने उक्त असामाजिक तत्व नितेश कुमार यादव, उम्र–28 वर्ष, पिता–कामेश्वर प्रसाद यादव, सा0–पथवारा, थाना–गोड्डा(मु0), जिला–गोड्डा को लोक हित में निगरानी रखने हेतु झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (1981) की धारा–3(i)(ए)(बी)(i)(ii) के अन्तर्गत थाना हाजिरी करने की अनुशंसा की है।

विपक्षी नोटिश देने के बाद भी उनके ओर से कारण–पृच्छा दाखिल नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि विपक्षी को कुछ नहीं कहना है।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकनोपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि नितेश कुमार यादव, उम्र–28 वर्ष, पिता–कामेश्वर प्रसाद यादव, सा0–पथवारा, थाना–गोड्डा(मु0), जिला–गोड्डा एक अपराधकर्मी है। विपक्षी के विरूद्ध गोड्डा(मु0) थाना काण्ड सं0–253/2020 दिनांक–14.10.2020 धारा 392 भा0द0वि0 एवं पोड़ैयाहाट थाना काण्ड सं0–32/19 दिनांक–13.03.2019 धारा 392 भा0द0वि0 तथा गोड्डा(मु0) थाना दैनिकी सन्हा संख्या–35/23 दिनांक–08.06.2023 सन्हा दर्ज है। विपक्षी के जेल से बाहर रहने से लोक व्यवस्था प्रभावित हो सकते हैं एवं इनके द्वारा शांति भंग भी की जा सकती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विचारोपरांत पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के अनुशंसा के आलोक में पूर्णरूपेन संतुष्ट होकर झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002(1981) की धारा–3(3)(बी)(i) के प्रावधानों के तहत नितेश कुमार यादव, उम्र–28 वर्ष, पिता–कामेश्वर प्रसाद यादव, सा0–पथवारा, थाना–गोड्डा(मु0), जिला–गोड्डा को आदेश दिया जाता है कि वे आदेश की तिथि से दिनांक–30.01.2025 तक (दिनांक–20.11.2024 मतदान की तिथि को छोड़कर) लगातार अपने दैनिक गतिविधि का सूचना एवं अपनी उपस्थिति इस आदेश में वर्णित, जिसका विवरण निम्नांकित है :–

दैनिक गतिविधि एवं उपस्थिति दर्ज करने का समय

सुबह – 07 बजे से 09 बजे के बीच

शाम – 04 बजे से 06 बजे के बीच

दोनों समय में से किसी एक समय प्रत्येक दिन श्री कुमार गौरव, थाना प्रभारी, गोड्डा(मु0), मो0 नं0–9431134782 के समक्ष दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे। थाना प्रभारी, गोड्डा(मु0) को आदेश दिया जाता है कि वे नितेश कुमार यादव का प्रत्येक दिन का गतिविधि एवं उपस्थिति लगातार आदेश की तिथि से दिनांक–30.01.2025 तक (दिनांक–20.11.2024 मतदान की तिथि को छोड़कर) दर्ज करेंगे एवं इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक, गोड्डा को समर्पित करेंगे।

आदेश का अनुपालन हेतु आदेश की प्रतिलिपि विपक्षी एवं थाना प्रभारी, गोड्डा(मु0) को देंगे तथा इसकी प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक, गोड्डा को भी निर्गत करेंगे।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

जिला दण्डाधिकारी,
गोड्डा।

जिला दण्डाधिकारी,
गोड्डा।

189
01/11/24

Digitally signed by Anjali Yadav
Date: 2025.11.12 12:42:36 +05:30
Location: 192.168.1.9